

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दोसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सुनं. ०५/२०१५ नामांतरण अपील हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान - प्रभातीलाल बनाम पारी देवी व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

<p>17-5-23</p>	<p>प्राची प्रभातीलाल पुत्र रंगलाल दे. पु. रामसहाय जाहिभाली निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट द्वारा उपस्थित होकर जारी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह चौधन प्राचीना पत्र मिसलतली एवं प्राचीना पत्र विद्वा क्रिये जाने अपील प्रस्तुत करने पर पत्रावली नियत पेची दिनांक १३-५-२०२३ से आज तक वी गई अधिवक्ता अपीलान्त एवं अपीलान्त को चुना गया अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्राचीना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण प्रभातीलाल बनाम पारी देवी व अन्य में पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है इसलिये विचाराधीन अपील प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अपीलान्त द्वारा भी उक्त तथ्य से सहमत होना व्यक्त किया गया। अपीलान्त द्वारा जारी अधिवक्ता प्राचीना पत्र विद्वा क्रिये जाने अपील मय स्थान प्राचीना पत्र प्रस्तुत कर अपील को आगे नहीं चलाने का अनुरोध करने पर नामांतरण सं. ३११ दिनांक १५-३-२०१३ कस्बा लालसोट तहसील लालसोट के निरन्तर अपीलान्त प्रभातीलाल पुत्र रंगलाल दे. पु. रामसहाय जाहिभाली निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दोसा द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से क्रम हो एवं वाद पूर्ण प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17-5-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में चुनाया गया।</p>	<p>प्रभातीलाल १२ (सुरेन्द्र सिंह चौधरी) अधिवक्ता</p>
----------------	---	--



Web Copy - Not Official